



बरेली पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 26.08.2025
थाना भुता

थाना भुता बरेली पुलिस द्वारा थाना भुता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 377/2025 धारा 140(3)/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 से संबंधित 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचय:-

दिनांक 25.08.2025 को जनपद अलीगढ़ निवासी वादिनी मुकदमा द्वारा थाना भुता पर एक तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण 1. अब्दुल मजीद पुत्र नामालूम निवासी ग्राम फैजनगर थाना भुता जिला बरेली 2. महमूद बेग पुत्र नामालूम 3. सलमान पुत्र नामालूम 4. आरिफ पुत्र नामालूम निवासीगण बरेली (जाति मुस्लिम) व एक अज्ञात द्वारा वादिनी के पुत्र प्रभात पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार उपाध्याय निवासी इन्द्रपुरी क्लासी थाना महुआ खेड़ा अलीगढ़ को शादी करने का प्रलोभन देकर जबरन मदरसे में रोककर धर्मान्तरण करना तथा वादिनी मुकदमा द्वारा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भुता पर मु0अ0सं0 377/2025 धारा 140(3)/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त मो0 फईम पुत्र मो0 सलीम निवासी सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली का नाम प्रकाश में आया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही

दिनांक 25.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार मय हमराही उ0नि0 श्री अंकित कुमार तोमर, उ0नि0 श्री ऋषि मित्र, उ0नि0 श्री चैनूराम राणा, हे0का0 383 संजीव कुमार, हे0का0 1131 कौशल व का0 चालक सोनू व का0 1292 निर्भय कुमार व का0 3389 मोहित तोमर, का0 3334 रोहित कश्यप, म0का0 3632 अंजली, म0का0 3545 अंजना रानी थाना भुता, वादिनी मुकदमा की निशांदाही पर ग्राम फैजनगर मदरसे पर पहुंचे तो देखा कि चार व्यक्ति सिर पर मुस्लिम टोपी लगाये एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरकर बैठे हुये है। जब पुलिस वालों ने बैठे व्यक्तियों में से प्रभात कहकर पुकारा तो सामने एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में बैग लिये हुए ने कहा कि मेरा नाम हामिद है। जब पुलिस वालों द्वारा सही नाम बताने हेतु कहा गया को उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम प्रभात उपाध्याय पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार उपाध्याय निवासी इन्द्रपुरी क्लासी थाना महुआ खेड़ा, अलीगढ़ बताया है।

बंधक व्यक्ति को अपने संरक्षण में लेकर एवं घेरकर बैठे चारों व्यक्तियों 1. अब्दुल मजीद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम फैजनगर थाना भुता जिला बरेली उम्र करीब 35 वर्ष, 2. सलमान पुत्र अहमद रजा निवासी ग्राम करेली थाना सुभाषनगर जिला बरेली उम्र करीब 30 वर्ष, 3. मो0 आरिफ पुत्र हफीज अहमद निवासी ग्राम करेली थाना सुभाषनगर जिला बरेली उम्र करीब 29 वर्ष, 4. मो0 फईम पुत्र मो0 सलीम निवासी सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 24 वर्ष को दिनांक 25.08.2025 को पुलिस हिरासत में लिया गया। महमूद बेग पुत्र मुबारिक बेग निवासी रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर जिला बरेली मौके से पहले ही चला गया था। बंधक/पीड़ित प्रभात उपाध्याय को अपने संरक्षण में लेकर सकुशल बरामदगी कर परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

बरामदगी विवरण-

पीड़ित प्रभात उपाध्याय पुत्र स्व० अरविन्द उपाध्याय निवासी इन्द्रपुरी क्वार्सी मकान नम्बर 24 थाना महुआ खेड़ा अलीगढ़ से बरामद सामान-

1. धार्मिक पुस्तके इस्लाम धर्म की कुल 10 (शीर्षक बहारे शरिअत हिस्सा 16, इस्लामी अखलाक-ओ-आदाब है, एक पुस्तक जिसका शीर्षक इस्लाम, आंतक या आदर्श? लेखक स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य है आदि)
2. धार्मिक सीडी कुल 12 (डा० जाकिर नाईक, UMME-E-HABIBA & SARAH MOEEN, Dr. ZAKIR NAIK, Dr. WILLIAM CAMBELL, 4 in 1 Vol आदि)
3. शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति ।
4. पासबुक 04
5. पैनड्राइवर 04
6. मूल निवास-01
7. आधार कार्ड-01 वर्क
8. पासपोर्ट 01
9. चेक बुक
10. लैपटाप, डीवीडी राइट, कीबोर्ड, माउस
11. सफेद मोती की माला, गले में पहने का ताबीज मुस्लिम धर्म
12. सफेद मुस्लिम टोपी-01

अभियुक्त अब्दुल मजीद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम फैजनगर थाना भुता जिला बरेली उम्र करीब 35 वर्ष की तलाशी से बरामद सामान—

1. हरे मोतियों की माला
2. सामने ब्राउन रंग का लकड़ी का किताब रखने का स्टैण्ड
3. धार्मिक धर्म से सम्बन्धित पुस्तकें
4. एक मोबाइल टच वाला सैमसंग कम्पनी
5. बंधक/पीड़िता प्रभात का मोबाइल मोबाइल पोको 5जी रंग काला

अभियुक्त सलमान पुत्र अहमद रजा निवासी करेली थाना सुभाषनगर जिला बरेली उम्र करीब 30 वर्ष की तलाशी से बरामद सामान -

1. दो पुस्तक जिसका शीर्षक "इस्लाम आंतक या आदर्श?" लेखक स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य है
2. पहने पैंट की दाहिनी जेब से 230 रुपये नगद
3. एक टच मोबाइल पोको कम्पनी रंग काला बरामद

अभियुक्त मोहम्मद फहीम पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जनपद बरेली उम्र करीब 23 वर्ष की तलाशी से बरामद सामान-

1. एक प्लास्टिक का पारदर्शी डब्बा जिसमें 60 मि०ली० डीटोल की खुली शीशी
2. एक डाक्टरी सफेद पट्टी व रुई व तीन आधे आधे ब्लेड के टुकड़े भारत कम्पनी
3. जेब से 210 रुपये नगद
4. एक मोबाइल कीपैड सैमसंग कम्पनी

अभियुक्त मोहम्मद आरिफ पुत्र हफीज अहमद निवासी करेली थाना सुभाषनगर जिला बरेली उम्र करीब 29 वर्ष की तलाशी से बरामद सामान-

1. एक धार्मिक पुस्तक जिसका शीर्षक नमाजे कामिल साथ नियतनामा बारह महिनो कि फजीलत मसनून हुआ 2. रुपये 310/- नगद

घटनास्थल से बरामद सामान-

1. धार्मिक किताबें कुल 12
2. मोहर-02

- 3.स्टाम्प पेड-01
- 4.ब्लैक कनवर्जन शर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र मोहरलगे हुये-03
- 5.सीडी-13(MAHAGURU SHANKRACHARYA ALAMI BHAICHARA Dr. Zakir Naik आदि)
- 6.कालीन-06
- 7.हरे रंग के मोतियों की माला-03
- 8.लाकेट मुस्लिम धागेनुमा (तस्वीर छपी हुयी)-10
- 9.तावीज बाजूबन्द-05 अदद व काले धागे का बंडल
- 10.कन्वर्जन इस्लाम प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र अब्दुल्ला-01 वर्क
- 11.किताब रखने का स्टैण्ड-01

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 377/2025 धारा 140(3)/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना भुता जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री अंकित कुमार तोमर थाना भुता जनपद बरेली।
3. उ0नि0 श्री ऋषि मित्र थाना भुता जनपद बरेली।
4. उ0नि0 श्री चैनूराम राणा थाना भुता जनपद बरेली।
5. हे0का0 383 संजीव कुमार थाना भुता जनपद बरेली।
6. हे0का0 1131 कौशल थाना भुता जनपद बरेली।
7. का0 चालक सोनू थाना भुता जनपद बरेली।
8. का0 1292 निर्भय कुमार थाना भुता जनपद बरेली।
9. का0 3389 मोहित तोमर थाना भुता जनपद बरेली।
10. का0 3334 रोहित कश्यप थाना भुता जनपद बरेली।
11. म0का0 3632 अंजली थाना भुता जनपद बरेली।
12. म0का0 3545 अंजना रानी थाना भुता जनपद बरेली।

